झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
सप्तम् (शीतकालीन)– सत्र
वर्ग– 02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 30 अग्रहायन, 1943 [शo] को 21 दिसम्बर, 2021 [ई0] झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
64–	अ0सू0– 04	श्री सरयू राय	दण्डात्मक कार्रवाई करना।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य।	13.12.2021
65–	अ0सू0– 06	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	महाविद्यालय को चालु करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	13.12.2021
66–	अ0सू0– 03	श्री सुदिव्य कुमार	टास्क फोर्स का गठन।	खाद्य, सार्वजनिक वि0 एवं उपभोक्ता मामले	13.12.2021
67–	अ0सू0– 12	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	पुनर्बहाल करना।	खान एवं भूतत्व	16.12.2021
68–	अ0सू0– 02	श्री बिरंची नारायण	एन0ओ0सी0 की बाध्यता समाप्त करना।	खान एवं भूतत्व	10.12.2021
69–	अ0सू0– 08	श्री चन्देश्वर प्रसाद सिंह	MACP का लाभ देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.12.2021
70–	अ0सू0– 09	श्री प्रदीप यादव	पुनर्जीवित करना।	उद्योग	15.12.2021

01.	02.	03.	04.	05.	06
71–	अ0सू0– 14	श्री डुलू महतो	अतिक्रमण मुक्त करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	16.12.2021
72–	अ0सू0– 11	श्री दीपक बिरूवा	दोषियों पर कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	16.12.2021
73–	अ0सू0– 07	डॉ0 सरफराज अहमद	जमा राशि का उपयोग करना।	खान एवं भूतत्व	13.12.2021
74–	अ0सू0– 13	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	ऑफलाइन वितरण व्यवस्था करना।	खाद्य, सार्वजनिक वि0 एवं उपभोक्ता मामले	16.12.2021
75–	अ0सू0– 05	श्री सुदिव्य कुमार	डिजिटल लाईब्रेरी खोलना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.12.2021
76–	अ0सू0– 10	श्री प्रदीप यादव	वन प्राणियों को संरक्षित करना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	13.12.2021
77–	अ0सू0– 01	श्री समीर कुमार मोहंती	सेवा शर्त्त लागु कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.12.2021

रॉची,
दिनांक– 21 दिसम्बर, 2021(ई०)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न– 03/2020.....2535...../वि0स0, रांची, दिनांक– 19/12/2021
प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

18/12/21
(गुरूचरण सिंह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,रॉची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न– 03/2020.....2535...../वि0स0, रांची, दिनांक– 19/12/2021
प्रतिः– मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

18/12/21
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न– 03/2020.....2535...../वि0स0, रांची, दिनांक– 19/12/2021
प्रतिः– कार्यवाही शाखा वेवसाईट शाखा, जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा/ऑनलाइन शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

18/12/21
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

सुभाष

17/12/21

(61)

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.12.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न अ0सू0–04 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि सिदगोड़ा, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में पर्यटन विभाग का एक चिल्ड्रेन पार्क है जहाँ स्थापित परिसंपत्तियों को अनाधिकृत व्यक्ति समूह द्वारा वहाँ से उखाड़ दिया गया है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि चिल्ड्रेन पार्क एवं इसके समीप सरकारी निधि से निर्मित तालाबों एवं अन्य स्थलों पर जाने वाले लोगों से प्रति व्यक्ति प्रति दिन प्रति बार 5रू का अवैध शुल्क अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा वसूला जाता है, जिन्होंने प्रवेश द्वार पर सरकारी निधि से निर्मित दो मंजिला भवन पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है और उसे किराया पर लगाते है,	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस स्थल को पर्यटन, खेलकूद, कला परिसर के रूप में विकसित करने, चिल्ड्रेन पार्क की परिसम्पत्तियों को नुकसान पहुचाने वाले को दंडित करने तथा सरकारी निर्माणों को कब्जा मुक्त कर कब्जा जमाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	कार्रवाई हेतु उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को निदेश दिया गया है। इस स्थल को पर्यटन, खेलकूद, कला परिसर के रूप में विकसित करने हेतु उपायुक्त से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट में राशि की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/128/2021 2026 /राँची, दिनांक 20·12·2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2393/वि०स०, दिनांक–13/12/2021 के प्रसंग में 10 (दस) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(65)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० द्वारा दिनांक-21.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या- अ०सू०-06 से संबन्धित उत्तर : -

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिले के प्रखण्ड फतेहपुर में सुदूरवर्ती ग्रामीण अनुसूचित जन जाति व आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े गरीब छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डिग्री महाविद्यालय भवन का निर्माण लगभग दो वर्ष पूर्व ही किया गया, परन्तु अबतक चालू नहीं हो पाई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। भवन निर्माण कार्य पूर्ण (95%) हो चुका है। भवन हस्तांतरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। डिग्री महाविद्यालय, नाला (फतेहपुर में अवस्थित) में शिक्षक के 18 एवं शिक्षकेतर कर्मियों के 11 पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है। पद सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति के अनुमोदन हेतु संचिका वित विभाग को भेजी गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए काफी दूरी तय करके अन्य महाविद्यालयों में जाना पड़ता है, जिसके कारण गरीब छात्राओं को आर्थिक एवं शारीरिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जामताड़ा महाविद्यालय, जामताड़ा (अंगीभूत महाविद्यालय) में सभी विषयों की पढ़ाई होती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य हेतु खण्ड-1 में वर्णित महाविद्यालय को चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका-1 में निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- 01/वि0स0-35/2021 1780 / रांची, दिनांक- 20/12/2021

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक-2394 दिनांक-13.12.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियाँ में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(66)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 21.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सुदिव्य कुमार
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उरॉव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानक के तहत् जो पी०एच०एच० अन्त्योदय राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं ऐसे परिवार अभी भी पी०एच०एच० अन्त्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे लोगों को पूर्व में ही कार्ड सरेन्डर करने हेतु विभागीय आदेश जारी किया गया है;	झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका–04 (III) तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक–160, दिनांक 20.01.2021 की कंडिका–08 द्वारा अपवर्जन मानक निर्धारित किया गया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 2875, दिनांक 03.11.2021 द्वारा आमजनों के बीच विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार करते हुए अयोग्य लाभार्थियों को स्वेच्छा से अपना राशनकार्ड सरेन्डर करने हेतु जागरूक एवं प्रेरित करने का निर्णय लिया गया। स्वेच्छा से अपना राशनकार्ड सरेन्डर करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.11.2021 तक निर्धारित थी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1142, दिनांक 05.11.2021 द्वारा "आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के अन्तर्गत भी अयोग्य लाभार्थियों को राशनकार्ड सरेन्डर करने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
(2) या यह बात सही है कि पूरे राज्य में मात्र छः हजार लोगों द्वारा ही राशन कार्ड सरेन्डर किया गया है;	झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल–43,267 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में अब तक कुल 12,040 अयोग्य लाभुकों द्वारा राशनकार्ड सरेन्डर किया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित् करने हेतु टास्क फोर्स गठित कर कार्ड सरेन्डर कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 द्वारा अपवर्जन मानक के अन्तर्गत अयोग्य राशन कार्ड/व्यक्ति की पहचान कर सरेन्डर कराने का कार्य निरन्तर जारी है। भविष्य में अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आने वाले लाभुक को राशनकार्ड सरेन्डर करने हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया जायेगा।

17/12/2021
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–18/2021 3470 /राँची, दिनांक 17/12/21

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–2390/वि०स०, दिनांक 13.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

(67)

श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–12

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि–

<table>
<tr><th>क्र०सं०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत बालु का लीज नही होने के कारण निर्माण कार्य कर रहे उपभोगताओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,</td><td>जिला खनन पदाधिकारी, सिमडेगा के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत Category-I श्रेणी का 05 बालूघाट (सामुदायिक कार्य हेतु) अवस्थित है तथा जिले में 05 बालू का भण्डारण अनुज्ञप्ति है। जहाँ से आवश्यकता अनुसार बालू खनिज का क्रय किया जा सकता है। वर्तमान में Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के आलोक में बालूघाटों का संचालन JSMDC के माध्यम से होना है तथा इसके बावत Category-II श्रेणी के बालूघाटों का संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में Category-II श्रेणी का बालूघाट जिला में संचालित नही।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि जिले में अवैध ढंग से बालु का उठाव होने से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है,</td><td>उत्तर अस्वीकारात्मक है।
जिला खनन पदाधिकारी, सिमडेगा के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि बालू का अवैध खनन/परिवहन के मामले में अवैध परिवहनकर्त्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। विगत तीन वर्षों में लघु खनिज बालू के अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरूद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत् है:–
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>वर्ष</th><th>दर्ज प्राथमिकी की सं०</th><th>दर्ज शिकायत</th><th>अधिरोपित दण्ड राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2019-2020</td><td>05 FIR</td><td>35 ट्रैक्टर पर JMMC Rule, 2004 (यथा संशोधित) नियम–54 (5) के तहत कार्रवाई की गई है।</td><td>5,07,000.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2020-2021</td><td>02 FIR</td><td>93 ट्रैक्टर पर JMMC Rule, 2004 (यथा संशोधित) नियम–54 (5) के तहत कार्रवाई की गई है।</td><td>13,76,010.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2021-2022</td><td>01 FIR</td><td>21 ट्रैक्टर एवं 01 हाईवा पर JMMC Rule, 2004 (यथा संशोधित) नियम–54 (5) के तहत कार्रवाई की गई है।</td><td>3,87,650.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजस्व उगाही के लिये लीज को व्यवस्था को पुर्नबहाल करना चाहेगी है, हाँ तो कब, तक नही तो क्यो ?</td><td>यथा कंडिका–01 एवं 02</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(अ०सू०)–126/2021 2586/एम०, राँची दिनांक–19.12.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०-2500 दिनांक–16.12.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/21

सरकार के उप सचिव

(68)

श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–02

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स, 2016 के तहत इस फंड का उपयोग प्रबंधकीय समिति की अनुशंसा पर जिला–स्तरी शासी परिषद् की अनुमति से खर्च होता है, लेकिन वर्त्तमान में राज्य सरकार ने पत्र जारी कर आदेश दिया है कि इस फंड से अधिकतम 30% राशि कोरोना से निपटने तथा इसके लिए आवश्यक स्वास्थ्य संरचनाए विकसित करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च कर सकती है, परंतु शेष 70% राशि खर्च करने हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी) लेना जरूरी है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट की राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना मार्गदर्शिका एवं जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के तहत जिलास्तरीय प्रबंधकीय समिति की अनुशंसा पर शासी परिषद की अनुमति से होता है। खान मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–DO No.7/2/2020-MIV दिनांक–28.03.2020 द्वारा राज्य सरकारों को COVID-19 महामारी के रोकथाम हेतु DMFT में उपलब्ध राशि (Balance) का अधिकतम 30 प्रतिशत तक खर्च करने की अनुमति (One Time Relaxation) दी है। जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट की राशि का उपयोग जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 एवं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना मार्गदर्शिका के अन्तर्गत योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन हेतु वर्त्तमान में राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की आवश्यकता नहीं है।
2	क्या यह बात सही है, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक महज 54.50 करोड़ रूपये ही खर्च हुए हैं, जोकि डीएमएफटी फंड में अब तक जमा हुई राशि का 01% भी नहीं है और 7 जिलों यथा देवघर, गिरिडीह, पलामू, पाकुड़, लोहरदगा, दुमका तथा साहेबगंज में तो स्वास्थ्य पर कुछ भी राशि खर्च नहीं हो पाई है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राज्य अन्तर्गत डी0एम0एफ0टी0 फंड में अब तक कुल लगभग 7678.65 करोड़ रूपये की राशि जमा हुई है जिसमें 77.99 करोड़ रूपये का खर्च स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया गया है। अबतक 05 जिलों यथा देवघर, पलामू, पाकुड़, लोहरदगा एवं साहेबगंज जिले में स्वास्थ्य पर राशि खर्च नहीं की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में डीएमएफटी फंड से खनन प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं को पूर्ण करवाने हेतु डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स, 2016 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा शेष 70% राशि खर्च करने हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी) लेने संबंधी आदेश को वापस लेते हुए पूर्व की व्यवस्था जनहित में एन0ओ0सी0 की बाध्यता हटाकर कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि0स0(अ0सू0)–116/2021 2577 /एम0, राँची, दिनांक– 19·12·2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप स0 प0–2241दिनांक–10.12.2021के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/21
सरकार के उप सचिव

(69)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

2351
30/12/2021

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या-- अ.सू.--08

प्रश्न		उत्तर
क्र0	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली अविभाजित बिहार राज्य में वर्ष 1989 में बनाई गई थी, जिसे 1993 एवं बाद के वर्षों में संशोधित किया गया, परन्तु मूल नियमावली आज भी प्रभावी है,	(*i*) वस्तुस्थिति यह है कि अविभाजित बिहार राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली 1994 में अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रावधान था, जिसके आलोक में अविभाजित बिहार में नियुक्ति की गई। झारखंड राज्य गठन के उपरांत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2002 (यथा संशोधित) अधिसूचित की गई, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षक के नियुक्ति का प्रावधान है। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 (यथा संशोधित) लागू है, जिसमें प्रशिक्षित के साथ-साथ शिक्षक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है।
		(*ii*) राज्य गठन के उपरान्त झारखण्ड राज्य द्वारा दिनांक 15.11.2000 के पूर्व लागू "बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्त) नियमावली, 1983" के स्थान पर उच्च विद्यालय संवर्ग के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के संदर्भ में, वर्ष 2004 में "झारखण्ड राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्त) नियमावली, 2004" एवं पुनः "झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015" का गठन किया गया है। झारखण्ड राज्य द्वारा +2 उच्च विद्यालय एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों का अलग संवर्ग गठित करते हुए, झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2012 गठित किया गया है। सम्प्रति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 418 दिनांक 10.08.2021 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के आलोक में उपर्युक्त नियमावली, 2012 एवं 2015, दोनों में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार राज्य के सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित करते हुए वर्ष 2009 से प्रभावी एम.ए.सी.पी. के तहत 10,20 एवं 30 वर्षों की सेवावधि के उपरांत वेतनमान उन्नयन का प्रावधान कर उच्चतर वेतनमान देने हेतु दिनांक 06.03.2019 को अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है एवं ग्रेड पे सहित समस्त अनुमान्य सुविधा देने का प्रावधान किया गया है,	विभाग से संबंधित नहीं है।

Khurshid

	प्रश्न	उत्तर
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी शिक्षकों को बिहार की तरह राज्यकर्मी घोषित करते हुए एम.ए.सी.पी. एवं ग्रेड पे आदि का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	(i) राज्य में कार्यरत शिक्षकों के केन्द्रीय वेतनमान, केन्द्रीय सेवा शर्तों के अधीन दिया गया है। केन्द्रीय शिक्षकों को वित्तीय उन्नयन देने का प्रावधान नहीं रहने के कारण राज्य के प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली–1993 के अधीन विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति देने का प्रावधान है। (ii) राज्य के माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को भी वर्ष 1986 से केन्द्रीय वेतनमान् का लाभ केन्द्र सरकार में लागू प्रावधान एवं सेवा शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है। उन्हें दिनांक 01.01.1986 के प्रभाव से वरीय एवं प्रवरण वेतनमान् का लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 660/F दिनांक 28.02.2009 द्वारा राज्य के राजकीयकृत/सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के समान हू–बहू उत्क्रमित वेतनमान् का लाभ भी दिनांक 01.01.2006 की तिथि से प्रदान किया गया है, जो संबंधित संकल्प के पृष्ठ संख्या 93 पर अंकित है। साथ ही उन्हें प्रत्येक पद हेतु वरीय एवं प्रवरण वेतनमान् का भी लाभ देय है, यथा –

शिक्षक पद	ग्रेड	दिनांक 01.01.2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान्	उत्क्रमित एवं अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.2006 को पुनरीक्षित वेतनमान एवं ग्रेड पे
1	2	3	4	5
प्राथमिक / इंटर प्रशिक्षित शिक्षक	III	4500–7000	6500–10500	9300–34800+4200 GP
	II	5000–8000 5500–9000	7450–11500	9300–34800+4600 GP
	I	5500–9000 6500–10500	7500–12000	9300–34800+4800 GP
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक	III	5500–9000	7450–11500	9300–34800+4600 GP
	II	6500–10500	7500–12000	9300–34800+4800 GP
	I	7500–12000	8000–13500	9300–34800+5400 GP
स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक	III	6500–10500	7500–12000	9300–34800+4800 GP
	II	7500–12000	8000–13500	15600–39100+5400GP
	I	8000–13500	10000–15200	15600–39100+6600GP

वर्तमान में तदनुरूप प्रतिस्थानी सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान् का लाभ उन्हें देय है।

उपर्युक्त प्रावधान से वस्तुस्थिति स्वतः स्पष्ट है।

(हस्ताक्षर) 20.12.21

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 2351 /रांची दिनांक 20/12/2021/2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2391 दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20.12.21

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

70

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–09

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने पुनः Jharkhand Industrial & Investment Promotion Policy-2021 बनाई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस Policy के अन्तर्गत नये उद्योगों के सहयोग हेतु कई प्रावधान किये गये है, लेकिन पुराने रूग्न एवं बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जिवित करने हेतु पूर्व की Policy की तरह ही कोई प्रावधान नहीं है;	Jharkhand Industrial & Investment Promotion Policy-2021 के तहत नये उद्योगों के साथ–साथ पुराने रूग्न एवं बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने का भी प्रावधान किया गया है। उक्त Policy की कंडिका–5 पर Scheme for revival of sick unit में उल्लेखित है कि–"The State may financially support an enterprise by a new promoter to acquire or purchase a sick entity for making it viable. With this view, comprehensive package will be formulated for revival of viable sick enterprises."
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छोटे, मंझोले एवं बड़े उद्योगों के लिए जो रूग्न है एवं बंदी की कगार पर है, को पुनर्जिवित करने हेतु कोई विशेष प्रावधान करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त नीति की कंडिका–5.4 में रूग्न इकाईयों के पुनर्जीवित करने के लिए Incentive का प्रावधान है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–58/2021 1275 /राँची, दिनांक– 20/12/2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–247 दिनांक–15.12.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(12)

श्री दीपक बिरूआ, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–11

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पं0 सिंहभूम जिलान्तर्गत बडाजामदा, किरीबुरू वनोवामुंडी सेक्टर में एक ही चलान पर 10–10 वाहनों से लौह अयस्क की ढुलाई की जा रही है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। जिला खनन कार्यालय, चाईबासा के प्रतिवेदनानुसार कार्यालय स्तर/जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों के संयुक्त अथवा स्वतंत्र छापेमारी क्षेत्रीय निरीक्षण के क्रम में ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।
2	क्या यह बात सही है कि खनन विभाग के जाँच के क्रम में बालाजी मैटेलिक क्रशर में अनुमति से अधिक अयस्क उठाव का स्टॉक पाया गया;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। जिला खनन कार्यालय, चाईबासा के प्रतिवेदनानुसार कार्यालय स्तर एवं जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा स्टॉक संबंधी जाँच के क्रम में भण्डारित लौह अयस्क का स्टॉक अनुमति से अधिक नही पाया गया वरन् स्टॉक पंजी एवं दाखिल मासिक विवरणी के अनुरूप एवं समतुल्य पाया गया।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राजस्व की क्षति में संलिप्त पदाधिकारियों एवं लौह माफियों को चिहिन्त कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हों तो कब तक नहीं तो क्यो ?	उपर्युक्त खण्डों मे स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(अ0सू0)–127/2021 2593 /एम0, राँची, दिनांक:– 19·12·2021

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2501 दिनांक–16.12.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/21
सरकार के उप सचिव

डॉ सरफराज अहमद, स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–07 (73)

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि वर्ष–2015 से जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) से आच्छादित जिला यथा गिरीडीह, चाईबासा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा गोड्डा में कुल–6562 करोड़ रूपये जमा है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वर्ष–2015 से जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) से आच्छादित जिला यथा गिरिडीह, चाईबासा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा गोड्डा में कुल–4002.80 करोड़ रूपये जमा है।
2	क्या यह बात सही है, कि विभागीय पत्रांक–169, दिनांक–29.01.2021 के द्वारा जिला फाउंडेशन ट्रस्ट के नियम के अन्तर्गत नई योजनाओं का चयन एवं स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गयी है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है, कि PMKKKY गाईडलाईन के अनुरूप उपयोगी योजनाएं जिला स्तर पर चयनित की जाती है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित जिलों में नई योजनाओं का चयन एवं स्वीकृति प्रदान कर जिला फाउंडेशन ट्रस्ट में जमा राशि का उपयोग करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 में निहित प्रावधानों के तहत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन एवं जिला खनिज फाउन्डेशन (ट्रस्ट) नियमावली, 2016 क्रमशः झारखण्ड गजट के असाधारण अंक संख्या–854, दिनांक–07.12.2015 एवं अंक संख्या–218, दिनांक–23.03.2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसमें खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के मार्गदर्शन के अनुसार योजनाओं के चयन, वार्षिक योजना का अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति के साथ न्यास कोष से राशि विमुक्ति की शक्ति, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित प्रावधान सन्निहित है। उपरोक्त छः जिलों में DMFT कोष में प्राप्त राशि, योजनाओं की संख्या, स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि से संबंधित विवरणी निम्नवत है–

Sl NO.	District	DMFT Collection (in Cr. Rs.)	No. of Schemes	Sanctioned amount (in Cr. Rs.)	Spent amount (in Cr. Rs.)
1	Gridhih	31.2	82	16.48	13.08
2	Chaibasa	1620.9	716	1074.12	779.93
3	Hazaribagh	358.9	15	137.67	96.16
4	Ramgarh	846.5	697	911.34	819.62
5	Bokaro	680.2	54	177.41	[illegible]
6	Godda	465.1	1696	251.61	188.41
	Total	4002.80	3260	2868.63	2217.22

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(अ०सू०)–118/2021 8578 /एम०, राँची, दिनांक– 19.12.2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र0–2395 दिनांक–13.12.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/21

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 21.12.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–13 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि कोलेबिरा में नेटवर्क नहीं रहने के कारण पोस मशीन काम नहीं कर रहा है;	सिमडेगा जिला में नेटवर्क की जाँच करायी गई। उपायुक्त, सिमडेगा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कोलेबीरा प्रखण्ड के 03 (तीन) जन वितरण प्रणाली की दुकानों में नेटवर्क की समस्या है। इन दुकानों में 12db एन्टिना अथवा 4G Dongle लगाने से नेटवर्क की समस्या का समाधान हो जायेगा। 12db एन्टिना एवं 4G Dongle लगाने हेतु राशि निर्गत की जा रही है।
(2) क्या यह बात सही है कि खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा तीन चार कि०मी० (3–4 KM) के दायरे के लाभुकों को बुलाया जाता है परन्तु वहाँ पर भी दो तीन दिन लगातार आना जाना करना पड़ता है, तब कही काम हो पाता है;	उपायुक्त, सिमडेगा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। उनके द्वारा कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई है। फिर भी यदि समस्या प्रतिवेदित होती है, तो 4G dongle या 12db antenna से समस्या का निराकरण हो जायेगा।
(3) क्या यह बात सही है कि आने जाने में गरीब लाभुकों को काफी रूपये खर्च करना पड़ता है;	तदैव।
(4) यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खाद्य जन वितरण प्रणाली को ऑफ लाईन वितरण व्यवस्था करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	नेटवर्क की समस्या वाले जन वितरण प्रणाली की दुकानों में 12db एन्टिना/4G Dongle लगाने के पश्चात् नेटवर्क Conectivity की स्थिति अच्छी हो जायेगी।

20/12/2021
(लाली प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–25/2021 3485 /राँची, दिनांक 20/12/21

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 3465/वि०स०, दिनांक 17.12.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2021
सरकार के अवर सचिव।

(75)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

2452
20-12-21

श्री सुदिव्य कुमार, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-05

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	**श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे के परिणाम में यह बात सामने आयी कि जो बच्चे स्कूलो के पुस्तकालयों का उपयोग करते हैं या जो कहानी की पुस्तकें पढ़ते है, उनमें सीखने की क्षमता अधिक होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के प्रकाशित रिपोर्ट में बच्चों के बेहतर परिणाम हेतु कई विषयों पर चर्चा की गयी है जिसमें क्रियाशील पुस्तकालय को भी शामिल किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों में पुस्तकालय खोलने पर विशेष जोर दिया गया है साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा देने की बात कही गई है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रों में जानकारी भरी पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से राज्य के प्राथमिक से लेकर प्लस–टू स्कूलों में पुस्तकालय खोलने एवं डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	समग्र शिक्षा के अन्तर्गत सभी विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। सभी श्रेणी यथा– प्राथमिक विद्यालय से लेकर +2 विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन समिति से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में NCERT, नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन संस्थान, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी.आई.आई.एल.) इत्यादि संस्थानो से पुस्तकों का क्रय किया गया है। समग्र शिक्षा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय रू0 5,000/– मध्य विद्यालयों हेतु रू013,000/– माध्यमिक विद्यालयों हेतु रू015,000/– उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों हेतु रू0 20,000/– के मूल्य की पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में पुस्तकों की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है। राज्य में आदर्श विद्यालय योजना के तहत प्रथम चरण के अन्तर्गत 80 उत्कृष्ट विद्यालय सहित 84 मॉडल विद्यालय, 62 शहरी निकायें में अवस्थित आदर्श विद्यालय तथा 245 प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिसके अन्तर्गत डिजिटल पुस्तकालय का भी प्रावधान किया गया है।

		ज्ञानोदय योजना के अन्तर्गत राज्य के 1000 प्रारंभिक विद्यालयों में पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 10.35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अवर सचिव
20/12/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16 / वि.2–77 / 2021 2432 /रॉची. **दिनांक** 20 / 12 / 2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-2392, दिनांक 13.12.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
20/12/21
सरकार के अवर सचिव

(76)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.12.2021 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–10 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में वन्य आश्रयणी, बेतला नेशनल पार्क के अलावे अन्य 12 वन्य आश्रयणी घोषित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में बेतला नेशनल पार्क के अतिरिक्त कुल 11 वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित है।
2. क्या यह बात सही है कि प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये खर्च के बावजूद वन–प्राणियों की संख्या घटती जा रही है और बाघ, नील–गाय एवं गिद्ध जैसी प्रजातियाँ पूर्ण रूप से गायब हो गयी है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वन प्राणियों की संख्या में बढ़ोतरी एवं सुरक्षित करने का ठोस उपाय करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण के उद्देश्य से योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक– 5/ विधान सभा अल्प सूचित प्रश्न -151/2021 - 3610 रा०प०, दिनांक–20/12/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2470, दिनांक–15.12.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

77

2418
17.12.21

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प.सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-01

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली वर्ष 2002 के आधार पर वर्ष 2003 में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि परीक्षा वर्ष 2003 के चयनित बहुत से अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी/जाली निकल जाने से उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से वर्ष 2005-06 में अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2003 में नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि विज्ञापन व परीक्षा वर्ष एक रूप होने के बावजूद प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति किए शिक्षकों को नई पेंशन योजना से जोड़ा गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि डब्लू. पी.(एस.) संख्या-1352/2007 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत आदेश संख्या 281, दिनांक 24.02.2021 के आलोक में प्रथम सूची को नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय है। एल.पी.ए. संख्या-756/2018 में पारित न्यायादेश के अनुसार द्वितीय सूची से नियुक्त शिक्षक पुरानी पेंशन के हकदार नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक ही विज्ञापन तथा एक ही परीक्षा के आधार पर नियुक्त सभी शिक्षकों को एक ही सेवा शर्त से आच्छादित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका-3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अस्पष्ट हस्ताक्षर
17/12/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 14/902-09/21-2418 राँची दिनांक 17/12/2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-2239, दिनांक 10.12.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अस्पष्ट हस्ताक्षर
17/12/21
सरकार के अवर सचिव

Khurshid